

**न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.)  
(समक्ष—विजयश्री राठौर)**

व्य.वाद प्र. क्रमांक 63'ए' / 2018

संस्थापन दिनांक :—01.03.2018

1. शिवदायाल पाटिल पिता—श्री गोपाल पाटिल,  
आयु—50 वर्ष, निवासी—बुण्डाल ,  
तहसील—बैतूल व— जिला—बैतूल, मध्यप्रदेश,
2. चन्नीलाल पिता—श्री उमराव,  
आयु—34 वर्ष, निवासी—बुण्डाल,  
तहसील—व—जिला—बैतूल म0प्र0

—वादी / आवेदक

**विरुद्ध**

1. सरपंच ग्राम—पंचायत बुण्डाल,  
तहसील—व—जिला—बैतूल म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल,—प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

वादी द्वारा	: श्री पुरुषोत्तम दीक्षित अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा	: श्री नरेश चन्द्र साहू अधिवक्ता।

**॥ आदेश ॥**

**(आज दिनांक—27 मार्च, 2018 को पारित )**

1— इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.प्र.सी. आई.ए.नं. 2/18 का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदन में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम—कुण्डाला, तहसील— व जिला—बैतूल स्थित खसरा नंबर 98 रकबा 0.971 की भूमि (जिसे आवेदन में पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा ) शासकीय

भूमि है।

3— आवेदन संक्षिप्त: इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा रामलाल का पूर्व से अधिपत्य रहा है, जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी क्रमांक-1 के पिता गोपाल तथा वादी क्रमांक-2 के पिता उमराव का अधिपत्य रहा है। उमराव एवं गोपाल की मृत्यु के पश्चात् से वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्विरोध शांतिपूर्ण अधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर अधिपत्य होकर गेहूँ की फसल भी बोई गई है। वादग्रस्त भूमि आबादी की भूमि है तथा ग्राम-कुण्डाला को वादीगण के अधिपत्य की जानकारी रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 सरपंच ग्राम-पंचायत कुण्डाला द्वारा अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करते हुए बिना सम्यक प्रक्रिया किये बिना प्रस्ताव बिना मुनादी के व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाने की दृष्टि से सरपंच के द्वारा वादीगण के अधिपत्य का भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से संपर्क किया, तो उसके द्वारा कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिया गया। इसके विपरीत अपने द्वारा की गयी प्रक्रिया को उचित बताया गया। आवंटन की प्रक्रिया के बावजूद वर्तमान में वादीगण अधिपत्य में है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अधिपत्य 65 वर्षों से निर्विरोध शांतिपूर्ण रूप से शासन की ग्राम पंचायत कुण्डाला की जानकारी में रहते हुए तथा जनसामान्य की जानकारी में रहते हुए अबाधरूप से चला आ रहा है, जिस कारण वादीगण का उक्त दाविया भूमि पर स्वत्व उत्पन्न हो चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया अथवा उन्हें बेदखल किया गया तो वादीगण को अपूर्ण क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी सम्यक प्रक्रिया के दाविया भूमि का आवंटन किया गया तो वाद का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्न करने का निवेदन किया गया।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 सरपंच ग्राम-बुण्डाला द्वारा आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों का निविर्दिष्ट प्रत्याखान कर जवाब प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही शासकीय भूमि है, जो पहले वन विभाग के अधिपत्य में खसरा नंबर 60/1 छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज रही, जिसके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कर वन विभाग की भूमि को परिवर्तित कर आबादी भूमि खसरा नंबर 48 में प्रतिस्थापित की गयी, जिसे शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवंटित की जा रही है। ग्राम पंचायत बुण्डाला के वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम विकास योजना के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना के अनुसार विधिवत कार्यवाही का ग्राम के हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर शासन के आदेश अनुसार वादग्रस्त भूमि के रकबे में से भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि है, जिसमें ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत का हित निहित है। अतः आवेदक सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :—

- अ) क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ?
- ब) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?
- स) क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?

**~सकारण निष्कर्ष~**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1**

6— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

7— वादी द्वारा अपने समर्थन में वर्ष 2017-18 का खसरा नंबर 0.328, किश्तबंदी [84/8](#), [97/8](#), खसरा नंबर [97@1](#) का नक्शा दिनांक 19.12.2018, खसरा नंबर 98 का नक्शा दिनांक 19.12.2018, खसरा नंबर 97 का नक्शा दिनांक 19.12.2018, एवं शिवदयाल, गोपाल पाटिल का शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 14.03.2018, पंचनामा दिनांक 14.03.2018, खसरा की नकल दिनांक 28.02.2018, खसरा नंबर 98 का नक्शा दिनांक 28.02.2018, शासन का आदेश ग्राम सूची सहित दिनांक 09.02.2018, हित ग्राहियों की सूची दिनांक 09.02.2018, पंचनाम दिनांक 08.02.2018, पंचनामा दिनांक 12.02.2018, प्रस्ताव पंजी दिनांक 04.10.2017 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

8— वादीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य 65 वर्षों से निर्विरोध शांतिपूर्णरूप से शासन की [xzke](#) पंचायत कुण्डाला की जानकारी में रहते हुए तथा जनसामान्य की जानकारी में रहते हुए अबाधरूप से चला आ रहा है, जिस कारण वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व उत्पन्न हो चुका है। वादीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 सरपंच ग्राम-पंचायत कुण्डाला द्वारा अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करते हुए बिना सम्यक प्रक्रिया किये बिना प्रस्ताव बिना मुनादी के व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाने की दृष्टि से सरपंच के द्वारा वादीगण के आधिपत्य का भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। आवंटन की प्रक्रिया के बावजूद वर्तमान में वादीगण आधिपत्य में हैं।

9— प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय मद की भूमि होना दर्शित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 65 वर्षों से निर्विरोध शांतिपूर्णरूप आधिपत्य होने के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है जिसे गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसका निराकरण इस प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है। धारा 57 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अनुसार ऐसी समस्त भूमियों पर राज्य शासन का स्वामित्व होता है। वादीगण द्वारा स्वयं वादग्रस्त भूमि, जो कि शासकीय मद की भूमि है, पर काबिज होने का कथन किया है।

10— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यादृष्टांत कमलसिंग विरुद्ध जयराम सिंग, 1986 (1) एम.पी.कृडब्ल्यू.एन 116 में अवधारित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिये अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेंगे। आधिपत्य ऐसा होना चाहिये जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो। अस्थाई निषेधाज्ञा एक साम्यपूर्ण अनुतोष है जिसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिये, ऐसी दशा में जहां वादी का वादग्रस्त भूमि पर वैध आधिपत्य होना दर्शित ही नहीं है, ऐसी दशा में उसके आधिपत्य को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11— अतः प्रथमदृष्ट्या यह दर्शित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निर्विवादित, शांतिपूर्वक आधिपत्य होने से स्वत्व परिपक्व हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु कमांक-2

12— अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य है कि ऐसी क्षति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नहीं तौल जा सकता हो। जहाँ वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व होना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हे अपूर्णीय क्षति कारित होने का प्रश्न ही नहीं है।

### विचारणीय बिन्दु कमांक-3

13— निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का संतुलन कहते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं वैध आधिपत्य वादी का होना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है, ऐसी स्थिति

में यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो वादीगण को प्रतिवादीगण से अधिक असुविधा नहीं होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

14— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.प्र.सी. आई.ए.नं. 2/18 निरस्त किया जाता है।

15— आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया जावेगा।

मेरे निर्देश पर टंकित।

स्थान—बैतूल  
दिनांक—27 मार्च, 2018

(विजयश्री राठौर)  
प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—2,  
बैतूल, मध्यप्रदेश